



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226205
CG-DL-E-27032021-226205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1281]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1385(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चेनेज
रारा-76/75 (नया रारा-39)	झांसी- नौगांव खंड (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में)	किमी 1.900 से 108.00
रारा-75 (नया रारा-39)	नौगांव-नौगांवका बामिता -सतना खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 57.900

[फा. सं. एनएच-14013/1/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1385(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-76/75 (New NH-39)	Jhansi- Nowgaon Section (In the State of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh)	km 1.900 to km 108.000
NH-75 (New NH-39)	Nowgaon- Bamitha of Nowgaon- Satna Section (In the State of Madhya Pradesh)	km 0.000 to km 57.900

[F. No. NH-14013/1/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1386(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूर्ण किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

अधिसूचना की अनुसूची में उक्त क्रम सं. 13 और 24 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

तालिका

(1)	(2)	(3)
"1.3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.7 [किमी 243.600 से 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक खंड को छोड़कर] सं. 12 [किमी 315.725 से 421.325 (भोपाल-ब्योवरा खंड को छोड़कर) 12ए [किमी 89.600-किमी 192.400 (मंडला-चिलपी खंड) और रारा-7 के किमी 477.600 से रारा-12ए के किमी 22.800 (जबलपुर - बरेला खंड) तक खंड को छोड़कर], 12ए वि. [किमी 231 दमोह से ओरछा], सं. 26ए, सं. 27, सं. 59 [किमी 9.500 से किमी 171.000 (इंदौर - झाबुआ - म. प्र./गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर] सं. 59ए, सं.69 (किमी 0.60 से किमी 8.300 और किमी 20.700 से किमी 256.400 तक को छोड़कर) सं. 75 [(किमी 0.000 से किमी 85.000 ग्वालियर झांसी खंड ग्वालियर बाइपास सहित ग्वालियर से म.प्र./उ.प्र. सीमा और किमी 2.800 से किमी 33.200 से किमी 55.400 से 83.400 (रीवा सीधी खंड) और किमी 6.500 से किमी 12.000 और किमी 24.000 से किमी 33.390 और किमी 40.225 से किमी 41.350 और किमी 43.240 से किमी 44.432 और किमी 82.100 से किमी 108.000 (झांसी-नौगांव खंड) और किमी 0.000 से 57.900 (बामिता के पास) (नौगांव सतना खंड)], 76 [किमी 0.000 से किमी 30.000 (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर] और सं. 78 [किमी 0.00 से किमी 69.100 (कटनी-उमरिया	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"

	खंड) और किमी 142.200 से किमी 245.000 (शहाडोल-अनूपपुर-म.प्र/छत्तीसगढ़ सीमाखंड को छोड़कर] सं. 86 [किमी 88.00 से किमी 130.00 (सागर – छतरपुर सड़क खंड)] तक खंड को छोड़कर], सं. 92, नई रारा सं. 339बी, नई रारा सं. 45वि., नई रारा सं. 56 [अंबुआ –दाहोद खंड (29 किमी)], नई रारा सं. 347सी, नई रारा सं. 552वि., नई रारा सं. 346, नई रारा सं. 752बी, नई रारा सं. 752सी, नई रारा सं. 543, नई रारा सं. 146बी, नई रारा सं. 347बी, नई रारा सं. 43वि., नई रारा सं. 135बी और नई रारा सं. 943 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
“24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 से किमी 46.004 (रारा 27 का नया संरेखण) इलाहाबाद से उ. प्र./म. प्र. सीमा तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, 28सी [किमी 00.000 से किमी 93.000 (बाराबंकी – जरवाल – बहराइच – रूपईडीहा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 29 {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-गोरखपुर खंड) और गोरखपुर बाइपास को छोड़कर}, सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक को छोड़कर}, सं. 58 [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए [किमी 0.00 से किमी 16.00 (छुटमलपुर-गणेशपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 (भागूवाल के निकट उत्तराखंड/उ. प्र. सीमा से जसपुर खंड के निकट उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर] और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सितारगंज-बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा खंड से झांसी) और किमी 1.900 से किमी 6.500 तक और किमी 12.000 से किमी 24.000 तक और किमी 33.390 से किमी 40.225 तक और किमी 41.350 से किमी 43.240 तक और किमी 44.432 से किमी 82.100 (झांसी-नवगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93 [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़ –मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96 (नई सं. 330) [किमी 95.100 से किमी 82.000 (कटका मोड़ – सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 233 {किमी 65.870 से किमी 299.350 (घग्घर पुल भारत नेपाल सीमा से वाराणसी खंड तक खंड को छोड़कर}, सं. 235 {किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड़ खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 124डी, नई रारा सं. 321, नई रारा सं. 321जी, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 730एच, नई रारा सं. 731एजी, नई रारा सं. 931 और नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 330बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी, नई रारा सं. 334डीडी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 731ए, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 727बी, नई रारा सं. 727एच, नई रारा सं. 727जी, नई रारा सं. 328, नई रारा सं. 328ए, नई रारा सं. 330डी, नई रारा सं. 730बी, नई रारा सं. 731बी, नई रारा सं. 731के, नई रारा सं. 727बीबी, नई रारा सं. 730एस, नई रारा सं. 730सी और नई रारा सं. 135सी के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार”

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 1278(अ), दिनांकित 23 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/1/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1386(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“13	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No.12 [excluding from km 315.725 to km 421.325 (Bhopal Bioara Section)], No. 12A [excluding from Km 89.600-Km-192.400 (Mandla-Chilpi Section) and from Km. 477.600 of NH-7 to Km. 22.800 of NH-12A (Jabalpur- Barela Section)], 12A Extn [231 km Damoh to Orchha}, No. 26A, No. 27, No. 59 [excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore-Jhabua- MP/Gujarat Border)], No. 59A. No. 69 (excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from km. 20.700 to km. 256.400), No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 85.000 of Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi Section and from 2.800 to km 33.200 and from km 55.400 to km 83.400 (Rewa-Sidhi section) and from km. 6.500 to km. 12.000 and from km. 24.000 to 33.390 and from km. 40.225 to km. 41.350 and from km. 43.240 to km. 44.432 and from km. 82.100 to km.108.000 (Jhansi- Nowgaon Section) and from km. 0.000 to 57.900 (near Bamitha) (Nowgaon- Satna Section)], No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)], No. 78 [excluding from Km 0.00 to km 69.100 (Katni –Umria Section) and from km 142.200 to km 245.000 (Shahdol-Anuppur-MP/Chhatishgarh Border Section)], No.86 [excluding from km 88.00 to km 130.00 (Sagar-Chhatarpur road Section)], No. 92, new NH No. 339B, new NH No. 45 extn., New NH No. 56 [Ambua-Dahod Section (29 Km.)], new NH No. 347C, new NH No. 552 Extn, new NH No. 346, new NH No. 752B new NH No. 752C, new NH No. 543, new NH No. 146B, new NH No. 347B, new NH No. 43 Extn, new NH No. 135B and new NH No. 943 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh.”.
“24	So much of National Highways No.2A, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 to Km. 46.004 (new alignment of NH 27) Allahabad to UP/MP Border Section)], No. 28B, No. 28C [excluding from Km. 00.000 to Km 93.000 (Barabanki-Jarwal- Bahariach-Rupaidiha Section)], No. 29 {excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section) and Gorakhpur Bypass}, No.56 [excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh / Uttarakhand Border)], No 72A [excluding from km 0.00 to km 16.00 (Chutamalpur Ganeshpur Section)], No. 74 [excluding from Km 30.00 to km 132.00 (Uttarakhand/UP Border near Bhaguwala to UP/Uttarakhand Border near Jaspur Section) and excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Jhansi) and from km. 1.900 to km.6.500 and from km. 12.000 to 24.000 and from km. 33.390 to km. 40.225 and from km. 41.350 to km. 43.240 and from km. 44.432 to km. 82.100 (Jhansi- Nowgaon Section)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai Section)], No. 91 [excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad- Aligarh- Kanpur Section)], No.91A, No. 92, No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra- Aligarh- Moradabad Section)], No. 96 (new No. 330) [excluding from Km. 95.100 to Km 82.000 (Katka More- Sultanpur Section)], No. 233 [excluding km. 65.870 to Km 299.350 (Ghagar Bridge Indo Nepal Border to Varanasi Section)], No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut- Hapur Section)], new NH No. 124D, new NH No. 321, new NH No. 321G, new NH No. 727A, new	State Government of Uttar Pradesh”

	NH No. 727AA, new NH No. 730, new NH No. 730A, new NH No. 730H, new NH No. 731AG New NH No. 931, and New NH No. 931A, new NH No. 330B, new NH No. 334A, New NH No. 334B, new NH No. 334DD, new NH No. 219, new NH No. 227A new NH No. 731A, new NH No. 124C, new NH No. 727B, new NH No. 727H, new NH No. 727G, new NH No. 328, new NH No. 328A, new NH No. 330D, new NH No. 730B, new NH No. 731B , new NH No. 731K, new NH No. 727BB, new NH No. 730S, new NH No. 730C, and new NH No. 135C as are situated within the State of Uttar Pradesh.	
--	--	--

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1278 (E), dated the 23rd March, 2021.

[F. No. NH-14013/1/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director